

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-कोटा/3442038/2025/

दिनांक:-

-: आदेश :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के आदेश क्रमांक: स्था./अराज./98/4506 दिनांक 08.07.1998 के द्वारा मन्जुलता मेहरा को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन कर प्रथमतः 6 माह के लिए अस्थायी नियुक्ति प्रदान की गई थी।

अतः मन्जुलता मेहरा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31ए के तहत इनको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 10.07.1998 से एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-कोटा/3442038/2025/38

दिनांक:-07/02/2025

दिनांक:-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, नं. 4, कोटा।
4. श्रीमती मन्जुलता मेहरा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचनार्थ।
5. रक्षित/आदेश प्रत्यावली।

6. प्रशासकीय लवट रजम मुख्यालय को वाले विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :07-02-2025 01:31:56